

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 244337 पटना,

दिनांक:- 27/08/15

ग्रा0वि0-3/स्था0-01-66/2015

प्रेषित,

श्री राज किशोर प्रसाद शर्मा,

कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा,
सम्प्रति अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
अमौर पूर्णियाँ।

विषय:- स्पष्टीकरण के संबंध में ।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं0- 243457 दिनांक- 22.08.15 द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा से स्थानान्तरित करते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अमौर, पूर्णियाँ के पद पर अधिसूचित / पदस्थापित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा अबतक अधिसूचित पद पर योगदान नहीं किया गया है।

आपके द्वारा विभागीय आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जो आपके स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का घोटक है ।

अतः उपरोक्त के संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करें, कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन


(प्रदीप कुमार) 26/8/15


सचिव

जापांक:- 244337 पटना,

दिनांक:- 27/08/15

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सहरसा एवं पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री राज किशोर प्रसाद शर्मा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा को विभागीय अधिसूचना सं0- 243457 दिनांक- 22.08.15 के अनुपालन में अधिसूचित पद पर योगदान करने हेतु कब विरमित किया गया कब विरमित किया गया /अधिसूचित पदस्थापन कार्यालय- प्रखंड- अमौर, पूर्णियाँ में योगदान करने से संबंधित सूचना/प्रविदन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।


सचिव 26/8/15